20-04-2023

भारतीय संविधान की नौवीं अनुसूची

समाचार पत्रों में क्यों?

हाल ही में, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री से मांग की गयी कि छत्तीसगढ़ में नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की अनुमति देने वाले दो संशोधन विधेयकों को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल किया जाये।

त्वरित मुद्दा?

- छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के अनुसार, राज्य की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए इन संशोधन को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पिछड़े वर्ग के लोगों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल सके।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

- छत्तीसगढ़ में राज्य विधानसभा ने सर्वसम्मति से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के लिये 76% कोटा हेतु दो संशोधन विधेयकों को मंज़ूरी दे दी है।राज्यपाल ने अभी तक इन विधेयकों को मंज़ूरी नहीं दी है।
- संविधान की नौवीं अनुसूची में केंद्रीय और राज्य कानूनों की एक सूची शामिल है जिन्हें न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती है। नौवीं अनुसूची में दो संशोधन विधेयकों को शामिल करने से वे कानूनी चुनौतियों से मुक्त हो जाएंगे।
- छत्तीसगढ़ सरकार का तर्क है कि नौवीं अनुसूची में संशोधित प्रावधानों को शामिल करना राज्य में पिछड़े और वंचित वर्गों को न्याय दिलाने के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- इससे पहले छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने 58% कोटा की अनुमति देने वाले एक सरकारी आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता क्योंकि यह असंवैधानिक है।

अन्य प्रमुख तथ्य?

नौवीं अनुसूची से संबंधित प्रमुख निर्णय

- केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973): सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ मामले में निर्णय को बरकरार रखा तथा "भारतीय संविधान की मूल संरचना" की एक नई अवधारणा पेश की और कहा कि, "संविधान के सभी प्रावधानों में संशोधन किया जा सकता है लेकिन यह उन संशोधनों को संविधान के बुनियादी ढाँचे से हटा देगा जिसमें मौलिक अधिकार शामिल हैं, न्यायालय द्वारा खारिज किये जाने के योग्य हैं"।
- वामन राव बनाम भारत संघ (1981): इस महत्त्वपूर्ण निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि "वे संशोधन जो 24 अप्रैल, 1973 (जिस पर केशवानंद भारती मामले में निर्णय दिया गया था) से पहले संविधान में किये गए थे, वैध और संवैधानिक हैं लेकिन जो निर्दिष्ट तिथि के बाद बनाए गए थे, उन्हें संवैधानिकता के आधार पर चुनौती दी जा सकती है।
- आई आर कोल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य (2007): यह माना गया था कि 24 अप्रैल, 1973 के बाद लागू होने पर अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत हर कानून का परीक्षण किया जाना चाहिये।

- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों को 76% आरक्षण प्रदान करने के लिये राज्य विधानसभा द्वारा दो संशोधन विधेयक पारित किये गए थे।
- इस अनुसूची में केंद्रीय और राज्य कानूनों की एक सूची है जिसे न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती है जिसे संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 1951 द्वारा जोड़ा गया था।
- पहले संशोधन में अनुसूची में 13 कानूनों को जोड़ा गया था। बाद के विभिन्न संशोधनों सहित वर्तमान में संरक्षित कानूनों की संख्या 284 हो गई है।
- यह नए अनुच्छेद 31B के तहत बनाया गया था, जिसे अनुच्छेद 31A के साथ सरकार द्वारा कृषि सुधार से संबंधित कानूनों की रक्षा करने और ज़मींदारी प्रथा को समाप्त करने हेतु लाया गया था।
- अनुच्छेद 31A कानून के 'उपबंधों' को सुरक्षा प्रदान करता है, जबकि अनुच्छेद 31B विशिष्ट कानूनों या अधिनियमों को सुरक्षा प्रदान करता है।

भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ

अनुसूचियाँ 1 – 12
प्रथम अनुसूची राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन
दूसरी अनुसूची राष्ट्रपति , राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, राज्य सभा के सभापति तथा उप-सभापति, विधान सभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति तथा उप-सभापति, उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों एवं भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के सम्बंध में उपबंध
तीसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्ररूप ।
चौथी अनुसूची राज्य सभा में सीटों का आबंटन ।
पांचवीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध ।
छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध ।
सातवीं अनुसूची संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची ।
आठवीं अनुसूची मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची ।
नौवीं अनुसूची विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों के सत्यापन के प्रावधान ।
दसवीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता के बारे में उपबंध ।
ग्यारहवीं अनुसूची पंचायतों के अधिकार, प्रधिकार और दायित्व ।
बारहवीं अनुसूची नगरपालिकाओं की के अधिकार, प्रधिकार और दायित्व ।

- अनुसूची के तहत संरक्षित अधिकांश कानून कृषि/भूमि के मुद्दों से संबंधित हैं, सूची में अन्य विषय भी शामिल हैं।
- अनुच्छेद 31B में एक पूर्वव्यापी संचालन भी है, जिसका अर्थ है कि यदि कानूनों को असंवैधानिक घोषित किये जाने के बाद नौवीं अनुसूची में शामिल किया जाता है, तो उन्हें उनकी स्थापना के बाद से अनुसूची में माना जाता है, अतः उन्हें वैध माना जाता है।
- इस तथ्य के बावजूद कि अनुच्छेद 31B न्यायिक समीक्षा के बाहर है, सर्वोच्च न्यायालय ने पहले कहा है कि नौवीं अनुसूची में सूचीबद्ध कानून भी समीक्षा के अधीन होंगे यदि वे मौलिक अधिकारों या संविधान के मौलिक सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं।

संगठन से समृद्धि अभियान

समाचार पत्रों में क्यों?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) ने "संगठन से समृद्धि- किसी ग्रामीण महिला को पीछे नहीं छोड़ना" अभियान लॉन्च किया।

त्वरित मुद्दा?

- पहले से शामिल 9 करोड़ महिलाओं में अतिरिक्त एक करोड़ महिलाओं को शामिल करने लिए " संगठन से समृद्धि" अभियान लॉन्च किया गया है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

- यह विशेष अभियान 30 जून, 2023 तक चलेगा और इसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के अंतर्गत सभी कमजोर और सीमांत ग्रामीण परिवारों को लाना है, ताकि वे ऐसे कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान किए जा रहे लाभों को प्राप्त कर सकें।
- इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य सुविधा वंचित ग्रामीण समुदायों को एकत्रित करना है जो डीएवाई- एनआरएलएम कार्यक्रमों के लाभों से अनभिज्ञ हैं।
- यह अभियान 1.1 लाख एसएचजी बनाने की आशा के साथ सभी राज्यों में चलाया जाएगा।
- अभियान के माध्यम से ग्राम संगठनों की सामान्य बैठकें आयोजित करके तथा एसएचजी चौम्पियनों द्वारा अनुभव साझा करने जैसे कदमों से छूटे हुए परिवारों को एसएचजी में शामिल करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
- सामूहिक संसाधन व्यक्ति अभियान आयोजित किया जाएगा, पीएमएवाई-जी लाभार्थी परिवारों से पात्र महिलाओं को जुटाया जाएगा।
- नए एसएचजी सदस्यों को प्रशिक्षित किया जाएगा, निष्क्रिय एसएचजी को पुनर्जीवित किया जाएगा, एसएचजी बैंक खाते खोले जाएंगे तथा अन्य हितधारकों द्वारा संवर्धित एसएचजी का सामान्य डाटाबेस बनाया जाएगा।

राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह

समाचार पत्रों में क्यों?

भारत के राष्ट्रपति ने पंचायतों के प्रोत्साहन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया और नई दिल्ली में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किए।

त्वरित मुद्दा?

- पंचायती राज मंत्रालय इस वर्ष 17 से 21 अप्रैल तक राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह मना रहा है। सप्ताह भर चलने वाले इस उत्सव का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने और जमीनी स्तर पर सुशासन को बढ़ावा देने के लिए पंचायती राज संस्थाओं के प्रयासों को मान्यता देना है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

- राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हर साल 24 अप्रैल को संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992 को अपनाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है जिसने भारत में पंचायती राज को संस्थागत बनाया।
- राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह समारोह 2023 का विषय "पंचायतों के संकल्प की सिद्धि का उत्सव" है, जिसका अर्थ है "पंचायत की आकांक्षाओं की फलता का उत्सव।"

- राष्ट्रीय सम्मेलन 18, 19 और 20 अप्रैल 2023 को सी. सुब्रमण्यम ऑडिटोरियम, एनएएससी कॉम्प्लेक्स, पूसा, नई दिल्ली में आयोजित किए जाएंगे। इन सम्मेलनों की थीम "गरीबी मुक्त और उन्नत आजीविका पंचायत, आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा", "बाल-हितैषी पंचायत, महिला हितैषी पंचायत, और सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत, " और "जल पर्याप्त पंचायत, स्वच्छ और हरित पंचायत और स्वस्थ पंचायत" इत्यादि हैं।
- सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इसका उद्देश्य स्थानीय विकास योजनाओं और प्राथमिकताओं को राष्ट्रीय और वैश्विक लक्ष्यों के साथ संरेखित करके सतत विकास लक्ष्यों की उपलब्धि में योगदान करने के लिए पंचायती राज संस्थानों को सशक्त बनाना है।

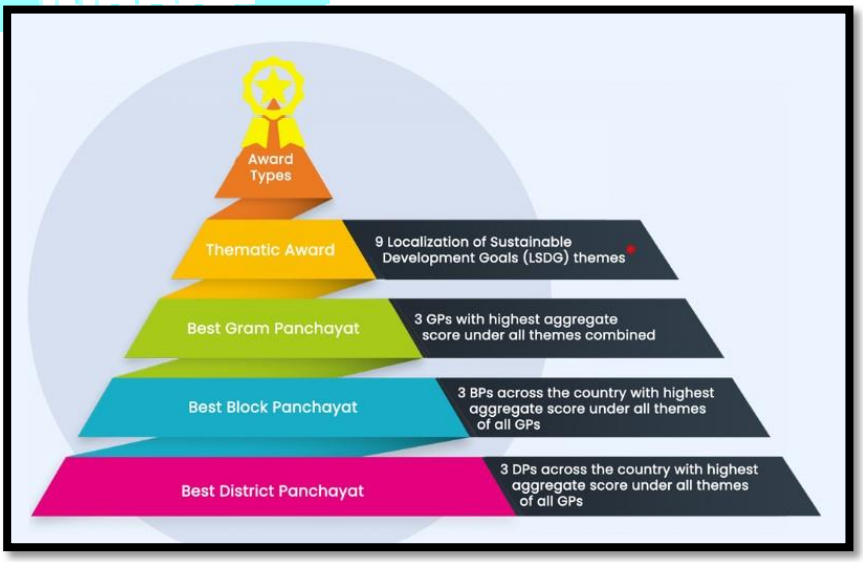

ग्रेट पैसिफिक गारबेज पैच

समाचार पत्रों में क्यों?

हाल के एक अध्ययन में, कनाडा, नीदरलैंड और अमेरिका के शोधकर्ताओं ने बताया है। कि तटीय जीवनरूपों ने ग्रेट पैसिफिक गारबेज मैच में प्लास्टिक की वस्तुओं को उपनिवेशित किया है।

त्वरित मुद्दा?

- "ग्रेट पैसिफिक गारबेज पैच" शब्द चार्ल्स जे. मूर (एक समुद्र विज्ञानी और नाव कप्तान) द्वारा गढ़ा गया था, जब वह 1997 में ट्रांसपैसिफिक नौकायन दौड़ से घर लौट रहे थे, जब वह उत्तरी प्रशांत चक्र से होते हुए कचरे के इस विशाल पैच से गुजरे थे। यह कहा जाता है कि यह पैच लगभग 1.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर आकार का है, यानी फ्रांस के आकार का तीन गुना।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

- द ग्रेट पैसिफिक गारबेज पैच हवाई और कैलिफोर्निया के बीच प्रशांत महासागर में स्थित है। हालाँकि, समुद्र की धाराओं और हवाओं में बदलाव के कारण, ग्रेट पैसिफिक गारबेज पैच का आकार और स्थान हमेशा बदलता रहता है।
- द ग्रेट पैसिफिक गारबेज पैच को दो भागों में बांटा गया है- पूर्वी गारबेज पंच जो कैलिफोर्निया से हवाई तक फैला हुआ है और पश्चिमी गारबेज पैच जो हवाई से जापान तक फैला हुआ है।

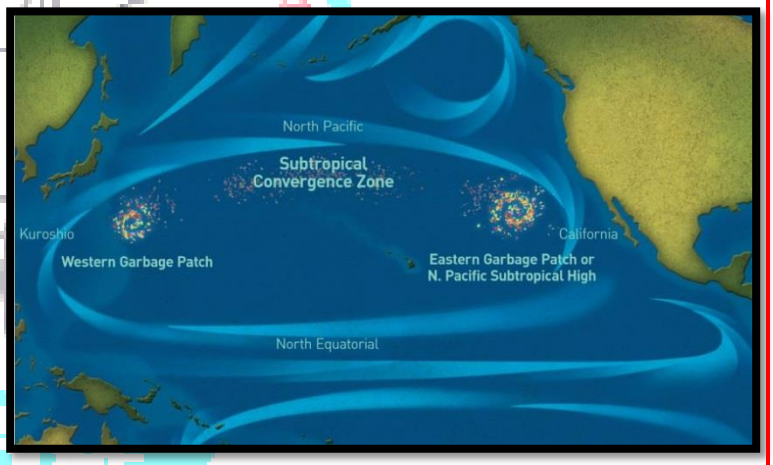

- पैच में अनुमानित रूप से 45,000-1,29,000 मीट्रिक टन प्लास्टिक होता है, जो मुख्य रूप से माइक्रोप्लास्टिक्स के रूप में होता है।
- यहां प्लास्टिक का संख्यात्मक घनत्व लगभग 4 कण प्रति घन मीटर है।
- मास-वार, हालांकि, भारी, अधिक दिखाई देने वाली वस्तुएँ जो अभी तक छोटे कणों में नहीं टूटी हैं, 2018 में 92% के लिए जिम्मेदार हैं।
- अध्ययन में पाया गया कि कि 98% मलबे में अकशेरूकीय जीव थे। उन्होंने यह भी पाया कि उनमें से 94.3% पर पेलजिक प्रजातियाँ (यानी खुले समुद्र की) और तटीय प्रजातियाँ 70.5% पर मौजूद थीं। यानी, तटों पर पाए जाने वाले जीव प्रशांत महासागर में कचरे के छोटे तैरते द्वीपों (मनुष्यों के लिए) से गुजर रहे थे।